कार्यालय प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, मासी(अल्मोड़ा)

पत्रांकः 566 /भूमि–भवन / 2022–23 दिनांकः 23 मार्च 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषयः जनपद–अल्मोड़ा के अंतर्गत मॉसी में राजकीय महाविद्यालय के निर्माण हेतु 0.962 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उच्च शिक्षा विभाग को प्रत्यावर्तन। (**Proposal No-FP/UK/other/ 21482/2016**)

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्र संख्या 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 32 / 2020 / एफ0सी0 / 1757 दिनॉक 17.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत हैः–

क्रम सं0	अधिरोपित शर्ते	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त संख्या–1 के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त संख्या–2 के अनुपालन में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं होती है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः क)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 1924 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव @ CA rate for 1.924 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। जहॉ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक प्लांटेशन से बचा जायें।	शर्त संख्या–3(क) के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि रू 784977.00 (सात लाख चौरासी हजार नौ सौ सतहत्तर मात्र) की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पां के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं0 2)। शेष शर्त आपके प्रभाग से संबंधित है।
	ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं Coordinates अंकित	शर्त संख्या–3(ख) आपके प्रभाग से संबंधित है।

	करते हुए डिजिटल मानचित्र एंव क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लाग वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP (C) संख्या :202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक–30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt) दिनांक–18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक–03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक–05.02.2009 में जारी दिषानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.962 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–5(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 रू 967012.00(नौ लाख सणसठ हजार बारह) की मात्र धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक नं0 2)।
	ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या–5(ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 15 वृक्षों से अधिक की नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई लागत जमा की जाएगी।	शर्त संख्या–6 के अनुपालन में 157 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति	शर्त संख्या–7 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

	से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने करने के लिए परित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनॉक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा काई और गतिविधि नहीं की जाएगी।	(बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
8	परियोजना के तहल प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।	शर्त संख्या–8 के अनुपालन में परियोजना के तहल प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से कुल रू 1751989.00 की धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर लिये गये है। चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक सं0 2)।
9	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या–9 के अनुपालन में एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या–10 के अनुपालन में पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	शर्त संख्या–11 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
12	वन भूमि एवं आस पास की भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या–12 के अनुपालन में वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायगा।	शर्त संख्या–13 के अनुपालन में राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
14	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	शर्त संख्या–14 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए निर्माण सामग्री के	शर्त संख्या–15 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई

	परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या–16 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या–17 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	शर्त संख्या–18 के अनुपालन में उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी	शर्त संख्या–19 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त संख्या–20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	शर्त संख्या–21 के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

22	अनुपालन में अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी।	शर्त संख्या–22 के अनुपालन में अनुपालना रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है)

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।
<u>संलग्न–उपरोक्तानुसार 5–5 प्रतियों में।</u>

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय,
मासी(अल्मोड़ा)।

राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बिन्दु सं0............1

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

F2

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 06-02-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION
PIF/Application No.	19921482546
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/32/2020/FC
Address.	Govt Degree College Masi Distt Almora Uttarakhand Almora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	govtdegreecollegemasi@gmail.com 9412126400 5966-257209
Amount(in Rs)	1751989/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words Seventeen Lakh Fifty-One Thousand Nine Hundred and Eighty-Nine Rupees Only

A. Tewary

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 06-02-2023

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	DIRECTOR OF HIGHER EDUCATION
PIF/Application No.	19921482546
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/32/2020/FC
Address.	Govt Degree College Masi Distt Almora UttarakhandAlmora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	govtdegreecollegemasi@gmail. 9412126400 5966-257209
Amount(in Rs)	1751989/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words Seventeen Lakh Fifty-One Thousand Nine Hundred and Eighty-Nine Rupees Only

A. Tewary

Depositor Signature (Signature)

Bank Official (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdes'

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbanko

543491687

6016020230222877713

60160202302228 77

Attested

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▽ Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/Others/21482/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/Others/21482/2016) Construction of Government degree college masi Tahsil Chaukhutia Distt. Almora Uttarakhand	OTHERS214822016546	19921482546	17 Nov 2020	CA: 784977/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 967012/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1751989/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 28 Jan 2023 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : Union Bank Of India (Challan) **Challan Generated On** : 06 Feb 2023 **Transaction Date** : 24 Feb 2023	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/040120232027462343_FPUKOthers214822016

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) (WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/) (HTTPS://INDIA.GOV.IN/) (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/) (HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/) (HTTP://WWW.NIC.IN/)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment,Forest and Climate Change, Government of India
Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)
For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

Attested

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बिन्दु सं0............3

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया जायेगा।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बृद्धि होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा किये जाने हेतु प्रयोक्ता एजेंन्सी सहमत है।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में 15 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

कृते प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त संख्या–7 के अनुपालन में गाईडलाईन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार अनुपालन किया जायेगा।

प्राचार्य
प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

बिन्दु सं0............8

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के तहल प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जाएंगे।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

बिन्दु सं0............9

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बिन्दु सं0............10

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त किया जायेगा।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जाएगा।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि में कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बिन्दु सं0............16

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बिन्दु सं0............18

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनॉक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बिन्दु सं0............21

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जायेगी।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)

बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
मासी (अल्मोड़ा)।

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मासी (अल्मोड़ा)